न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रमाबाई नगर (कानपुर–देहात)।

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1471/2026

CNR No.**UPRN01- 003739-2026**

1. संजू उर्फ संजय उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र राम प्रकाश, निवासी श्रीकापुरवा, थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात। ...आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य ... प्रतिपक्षी

सत्र परीक्षण सं०–429/2015
मु०अ०सं०–285/2015
धारा–25 आयुध अधिनियम
थाना–मंगलपुर, कानपुर देहात।

आदेश

1. सत्र परीक्षण सं०–429/2015, मु०अ०सं०–285/2015, धारा–25 आयुध अधिनियम, थाना–मंगलपुर, कानपुर देहात के मामले में आवेदक/अभियुक्त संजू उर्फ संजय के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया है कि वह इस मामले में पूर्व में जमानत पर था। वह पीलिया से पीड़ित होने के कारण न्यायालय नहीं आ सका और उसके विरूद्ध एन०बी०डब्लू० व धारा–82–83 दं०प्र०सं० की आदेशिका निर्गत की गयी। उसे दिनांक–09.02.2026 को पुलिस के द्वारा पकड़कर जेल भेज दिया गया। धारा–307,302,420,467,468,471,417 भा०दं०सं० के मामले में उसकी जमानत माननीय उच्च न्यायालय से हो चुकी है तथा त्रुटि वश धारा–25 आयुध अधिनियम छूट गयी है। उपर्युक्त आधार पर जमानत दिये जाने की याचना की गयी।

3– अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, (दाण्डिक) ने जमानत प्रा०पत्र का प्रबल विरोध किया।

4– मैनें जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया।

5– पत्रावली के आदेशपत्रक के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध पत्रावली में एन०बी०डब्लू० व धारा–82,83 दं०प्र०सं० की आदेशिका न्यायालय द्वारा निर्गत की गयी। इस मामले में धारा–307,302,420,467,468,471,417 भा०दं०सं० में अभियुक्त की जमानत माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक–12.062026 को स्वीकार की जा चुकी है। यह जमानत आवेदन धारा–25 आयुध अधिनियम में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। अभियुक्त दिनांक–09.02.2026 से जेल में है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्त अब नियत तिथियों पर न्यायालय आता रहेगा तथा न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं करेगा।

6– अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले के गुण–दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये हुए आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

7– तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा मु०–50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही राशि का एक नवीन प्रतिभू सहित प्रस्तुत करने जमानत पर रिहा किया जाये। अभियुक्त के द्वारा इस आशय का अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत किया जाये कि–

1. दौरान विचारण वह प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय आता रहेगा।
2. अभियुक्त के द्वारा विचारण में न्यायालय का सहयोग किया जायेगा तथा अनावश्यक रूप से स्थगन नहीं दिया जायेगा।

दिनांक–17.07.2026

(रविन्द्र सिंह)
सत्र न्यायाधीश
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।
J.O. Code–UP02003

Digitally signed by RAVINDRA SINGH
Date: 2026.07.17 16:18:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court